



भाषा-हिंदी

भाषा-हिंदी

1. भाषा, भाषा-शिक्षण और बहुभाषिता

1.0 परिचय

यह पाठ्यक्रम भाषा पढ़ाने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा के रूप में बनाया गया है। हमें आशा है कि इस रूपरेखा को विभिन्न राज्य, ज़िले और कुछ सीमा तक प्रखंड भी अपने स्थानीय संदर्भों और अपने क्षेत्र के बच्चों की विभिन्न क्षमताओं के अनुसार अपनाएँगे।

सभी मनुष्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि विविध प्रकार की अक्षमता वाले बच्चे, जैसे- दृष्टिबाधित या श्रवणबाधित बच्चे भी संप्रेषण की जटिल और समृद्ध व्यवस्था का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार कोई भी सामान्य बच्चा करता है। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अधिकांश व्यक्ति यह सोचते हैं कि वे भाषा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। निःसंदेह यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। भाषा केवल संप्रेषण का साधन ही नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम भी है जिसके सहारे हम अधिकांश जानकारी प्राप्त करते हैं। यह एक व्यवस्था है जो काफ़ी सीमा तक हमारे आस-पास की वास्तविकताओं और घटनाओं को हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित करती है। यह कई तरीकों से हमारी पहचान का एक चिह्न है और अंतः: यह समाज में सत्ता-शक्ति से बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम केवल दूसरों से बात करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आपसे भी बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह वास्तव में भाषा का महत्वपूर्ण कार्य है। हम अपने विचारों को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं जब तक कि हम पहले अपने आप से बात करना न सीखें।

विभिन्न विषय-क्षेत्रों, जैसे-इतिहास, भौतिक विज्ञान अथवा गणित को समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। चाहे हम प्रकृति को देखें या समाज को हम काफ़ी हद तक उन्हें अपनी भाषा की संरचना के माध्यम से ही देखते हैं। यह हमारी भाषा है जो हमें यह बताती है कि हम 'बर्फ़' देखते हैं या 'आइस' या फिर आइस और 'स्नो' दोनों देखते हैं अथवा एक ही वस्तु के लिए 20 से भी अधिक शब्द- जैसा कि एस्कीमो देखते हैं। अपनी भाषा के मुद्दे को लगातार आधार बनाकर कोई भी समुदाय किसी भी समय एक अलग राज्य की माँग कर सकता है। भारत में कई बार सर्विधान की आठवीं अनुसूची में अपनी भाषाओं को शामिल कराने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। जहाँ तक भाषा और सत्ता/वर्चस्व के संबंध का प्रश्न है- हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी खास तरह के उच्चारण अथवा लेखन-व्यवस्था को सही, शुद्ध और मानक के रूप में देखते हैं तो दरअसल हम यह कहना चाहते हैं कि समाज में वर्चस्वशाली समूह का अंग बनने के लिए आपको इसी को अपनाना होगा और व्यवहार में लाना होगा।

अधिकांश बच्चे स्कूल आने से पहले केवल एक भाषा नहीं, बल्कि अक्सर अनेक भाषाएँ सीख लेते हैं। स्कूल आने से पहले बच्चा लगभग पाँच हजार अथवा उससे भी अधिक शब्दों को जानता है। अतः बहुभाषिता हमारी पहचान अथवा अस्मिता की निर्धारक है। यहाँ तक कि दूर-दराज के गाँवों का तथाकथित एक 'एकल भाषी' भी अनेक संप्रेषणात्मक स्थितियों में सही तरीके की भाषा इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि बहुभाषिता का संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहनशीलता, विकेंद्रित चिंतन एवं शैक्षिक उपलब्धि से सकारात्मक संबंध होता है। भाषावैज्ञानिक दृष्टि से, सभी भाषाएँ चाहे वे बोली, आदिवासी या खिचड़ी भाषाएँ हों, सब समान रूप

161

माध्यमिक

तथा

उच्च माध्यमिक

कक्षाओं

के लिए

पाठ्यक्रम

से वैज्ञानिक होती हैं। भाषाएँ एक-दूसरे के सान्निध्य में फलती-फूलती हैं साथ ही अपनी विशेष पहचान भी बनाकर रखती हैं। बहुभाषिक कक्षा में यह बिलकुल अनिवार्य होना चाहिए कि हर बच्चे की भाषा को सम्मान दिया जाए और बच्चों की भाषायी विभिन्नता को शिक्षण-विधियों का हिस्सा मान कर भाषा सिखाई जाए।

1.1 भाषा-क्षमता

सभी बच्चे तीन साल की उम्र से पहले ही न केवल अपनी भाषा की बुनियादी संरचनाएँ और उपसंरचनाएँ सीख जाते हैं, बल्कि वे यह भी सीख जाते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में इनका किस प्रकार उचित प्रयोग करना है। (उदाहरण के लिए वे केवल भाषिक दक्षता नहीं, बल्कि संप्रेषण की दक्षता भी सीखते हैं) तीन साल के बच्चे के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आने वाले किसी भी विषय पर उसके साथ सार्थक बातचीत की जा सकती है। अतः यह स्वाभाविक है कि समृद्ध और संवेदनपरक अवसरों वाले बच्चों के अलावा सामान्य बच्चे जन्मजात/नैसर्गिक भाषा-क्षमता के साथ पैदा होते हैं- जैसे कि चॉम्स्की ने तर्क दिए हैं। यह सच है कि विभिन्न भाषाओं में विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न शब्द होते हैं और विभिन्न तरह के पदबंध और अभिव्यक्तियाँ आदि होती हैं, फिर भी हम जानते हैं कि हर भाषा में संज्ञा, क्रिया और विशेषण जैसी श्रेणियाँ होती हैं अथवा कर्ता+क्रिया+कर्म (अंग्रेजी की तरह) या कर्ता+कर्म+क्रिया (हिंदी की तरह) का शब्द क्रम होता है। इसके अतिरिक्त उनके अपने कई नियम होते हैं जो सभी भाषाओं में अपने होते हैं। (1.2 देखें) भाषा क्षमता को जन्मजात/नैसर्गिक मानने पर हासिल होने वाले शिक्षण पद्धति संबंधी दो निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बच्चों को समुचित अवसर प्रदान करना जिससे बच्चे सहजता के साथ नई भाषा को सीख सकें। दूसरा, पढ़ाते समय व्याकरण की अपेक्षा विषयवस्तु पर अधिक ध्यान देना।

माध्यमिक
तथा

उच्च माध्यमिक
कक्षाओं
के लिए
पाठ्यक्रम

162

1.2 नियमबद्ध व्यवस्था के रूप में भाषा

वैज्ञानिक तरीके से भाषा की संरचना का अध्ययन करने वाले भाषावैज्ञानिकों के लिए किसी भी भाषा का व्याकरण अनेक उपव्यवस्थाओं से बनी एक बहुत अमूर्त व्यवस्था है। ध्वनि के स्तर पर संसार की भाषाएँ अपनी अनुतान संरचनाओं और सुर रेखाचित्र के रूप में लय और संगीत के साथ निकटता के साथ जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए किसी भी भारतीय भाषा में अथवा यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी शब्द के शुरू में तीन व्यंजन ध्वनियाँ एक साथ नहीं आतीं और जहाँ भी इन तीन ध्वनियों के आने के विकल्प हैं- वे बहुत सीमित हैं। पहला व्यंजन 'स्' (s) दूसरा व्यंजन केवल 'प्' (p), 'त्' (t) अथवा 'क्' (k) तथा तीसरा व्यंजन केवल 'य्' (y), 'र्' (r) 'ल्' (l) अथवा 'व्' (w) ही हो सकता है जैसा कि हिंदी के 'स्त्री' शब्द में। अंग्रेजी में 'spring', 'street', 'squash', 'screw' आदि भी इसी प्रकार के उदाहरण हैं। भाषा शब्द, वाक्य और प्रोक्ति (discourse) के स्तर पर नियमों से बंधी हुई है। इनमें से कुछ नियम हमारी जन्मजात भाषा-क्षमता में पहले से ही खूब होते हैं लेकिन अधिकांश नियम सामाजिक-ऐतिहासिक परिवेश में संप्रेषण के माध्यम से बनते हैं। उनमें सामाजिक व क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। इस तरह की भाषिक विविधता कक्षा में हमेशा उपस्थित रहती है और एक शिक्षक को उसकी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जहाँ तक संभव हो उसका सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए।

1.3 बोलना और लिखना

बोलने और लिखने में जो बुनियादी अंतर है वह यह है कि लिखित भाषा सचेत रूप से नियंत्रित रहती है तथा समय में स्थिर हो जाती है। हम जब चाहें तब उस पर वापस आ सकते हैं। मौखिक भाषा अपनी प्रकृति में क्षणिक और लिखित भाषा की तुलना में बहुत जल्दी बदलने वाली होती है। इसलिए मौखिक और लिखित भाषा के बीच की असंगति को लेकर किसी को आश्चर्यचित होने की आवश्यकता नहीं है। वाक् और लिपि के बीच कोई दैविक संबंध नहीं है। मौखिक अंग्रेजी और रोमन लिपि के बीच अथवा मौखिक संस्कृत अथवा हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि के बीच कोई परमपावन संबंध नहीं है। वास्तव में संसार की सभी भाषाएँ कुछ मामूली बदलाव/संशोधन/परिवर्तन के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह



एक भाषा को संसार की सभी लिपियों में लिखा जा सकता है। वाक् एवं लिपि के बीच इस संबंध के प्रति जागरूकता के कई महत्वपूर्ण शैक्षिक निहितार्थ हैं। जो शिक्षक इस वस्तुस्थिति अथवा तथ्य से परिचित हैं वे अक्सर त्रुटियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तथा नवाचारी शिक्षण-विधियों का विकास करना प्रारंभ करते हैं।

1.4 भाषा, साहित्य और सौंदर्यबोध

भाषा के अनेक पक्ष हैं जिनके बारे में भाषा शिक्षा के योजनाकार गंभीरता से विचार नहीं करते।

संसार को उद्घाटित करने की विशेषता के अलावा भाषा के कई प्रकार्यात्मक तत्व हैं। कविता, गद्य और नाटक न केवल हमारी साहित्यिक संवेदनशीलता को परिष्कृत करते हैं बल्कि हमारे सौंदर्यबोध को भी समृद्ध बनाते हैं, विशेषरूप से पठन-अवबोधन एवं लिखित के उच्चारण को। साहित्य में चुटकुले, व्यंग्य, काल्पनिकता, कहानी, पैरोडी, दृष्टांत/नीति कथा भी शामिल हैं जो हमारी दिन-प्रतिदिन की बातचीत में शामिल होते हैं और उनका विस्तार करते हैं।

टैगोर के शार्तिनिकेतन में, यह एक सामान्य अभ्यास होता था कि विद्यार्थी टैगोर के साथ नाटक पढ़ते थे, बांग्ला में उसका अनुवाद करते थे, मंचन करने के लिए उसे तैयार करते थे और अपनी पूरी आभा के साथ समुदाय के सदस्यों के सामने नाटक प्रस्तुत करते थे। जैसा कि मार्क्स ने संकेत किया है— भाषा-शिक्षा की नीति भाषा के प्रकार्यात्मक, कथात्मक, तत्वमीमांसापरक तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकती और न ही उसे केवल सांस्कृतिक लाभों को प्राप्त करने के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में देख सकती है। मनुष्य न केवल सौंदर्य की सराहना करते हैं बल्कि अनेक बार सौंदर्यबोधी आयामों को निर्यात्रित करने वाले नियमों को व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध भी करते हैं। वह भाषा के सौंदर्यपरक पक्ष की पर्याप्त सराहना, शुद्धता और सही के प्रति लगाव की अपेक्षा भाषिक गुणवत्ता और सृजनात्मकता को आवश्यक रूप से प्राथमिकता देती है। इस तरह की प्रक्रियाएँ एकालाप/आत्मसंवाद एवं आक्रामकता की अपेक्षा संवाद एवं समझौते को बढ़ावा देती हैं। आशा है कि अल्पसंख्यक और लुप्त प्रायः भाषा के प्रति इससे उस सम्मान में भी वृद्धि होगी जिसकी वे हकदार हैं। कोई भी समुदाय यह नहीं चाहता कि उसकी ‘आवाज’ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए।

1.5 भाषा एवं समाज

हालांकि यह ठीक है कि बच्चे जन्मजात भाषा-क्षमता के साथ पैदा होते हैं परंतु प्रत्येक भाषा विशेष प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनैतिक संदर्भ में अर्जित की जाती है। प्रत्येक बच्चा यह सीखता है कि क्या कहना है, किसे कहना है, कहाँ कहना है। जैसा कि लेबॉव ने बताया है कि भाषाएँ स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील होती हैं और विभिन्न आयुवर्ग के द्वारा विभिन्न संदर्भों में विभिन्न तरीकों से उसका इस्तेमाल किया जाता है। अतः मानवीय भाषिक व्यवहार में परिवर्तनशीलता या विविधता यादृच्छक रूप से नहीं होती बल्कि वह भाषा, संप्रेषण, विचार और ज्ञान की व्यवस्थाओं में संबंध जोड़ती है। अरोइन ने संकेत दिया है कि समाज के बाहर भाषा का न तो अस्तित्व है और न ही उसका विकास होता है। हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक विकास की आवश्यकताओं के कारण ही भाषा का विकास होता है। परंतु हमें इसकी विपरीत स्थिति को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। चैंकि भाषा संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण, सटीक और सार्वभौमिक साधन है। अतः मानव समाज भाषा के बिना विचारों का गठन, अभिव्यक्ति का संचय और प्रसारण नहीं कर सकता। यह जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भाषाएँ शारीरिक और मानसिक रूप से समय एवं स्थान में लगभग बंधी हुई, वस्तुओं का ही विवेक नहीं करतीं। वास्तव में वे लगातार बदलती रहती हैं (वे व्यवहार की प्रवाहपूर्ण व्यवस्था है, जिसे मनुष्य ग्रहण करता है और स्वयं को तथा अपने आस-पास के संसार को स्पष्ट करने के लिए उसमें परिवर्तन करता है। प्रायः भाषा को एक वस्तु के रूप में देखा जाता है और व्यक्ति उसके बारे में एक रूढ़िबद्ध दृष्टिकोण अपना लेते हैं। हमें भाषा के इन दोनों पक्षों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है।



1.6 भाषा और अस्मिता

कोई भी व्यक्ति समाज के जिस समूह के साथ अपनी पहचान बनाना चाहता है, वह उसी समूह के अनुरूप व्यवहार करता है। इस प्रक्रिया में उसकी ऐसी संप्रेषण क्षमता विकसित होती है जिसका प्रयोग वह तरह-तरह के औपचारिक संदर्भों में करता है। कई बार इन अस्मिताओं का आपस में संघर्ष भी होता है। अल्पसंख्यकों के संदर्भ में अस्मिता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय और सार्वभौमिक शांति व सौहार्द की दृष्टि से यह बहुत जरूरी है कि हम अल्पसंख्यक भाषाओं व संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील हों।

यदि भाषा के माध्यम से कुछ मौजूदा अस्मिताओं की पहचान स्पष्ट हो पाती है तो हम यह कह सकते हैं कि भाषाएँ अस्मिता का प्रतीक और स्मृतियों व प्रतीकों का भंडार तथा उन्हें बनाए रखने का साधन मात्र नहीं है। वे ऐसा उद्गम स्रोत हैं जहाँ से निकलकर हम अथाह संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं।

1.7 भाषा एवं सत्ता

इस तथ्य के बावजूद कि सभी भाषाएँ अमूर्त व्यवस्थाओं या उप व्यवस्थाओं के रूप में समान हैं- इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जिस जटिल तरीके से भाषा के साथ अंतःक्रिया करते हैं- उससे कुछ भाषाएँ अन्य की तुलना में अधिक सम्मानजनक बन जाती हैं तथा सामाजिक- राजनैतिक शक्तियों के साथ जुड़ जाती हैं। समाज का एक विशिष्ट वर्ग प्रायः जिस भाषा का प्रयोग करता है वही भाषा समाज में वर्चस्व प्राप्त कर लेती है और मानक भाषा बन जाती है। सभी व्याकरण, शब्दकोश तथा विभिन्न प्रकार की संदर्भ-सामग्री इस ‘मानक भाषा’ को ही स्वभावतः संबोधित करेगी। भाषाविज्ञान की दृष्टि से मानक भाषा, शुद्ध भाषा, बोली, प्रकार आदि में कोई अंतर नहीं है। एक ऐसी बोली को भाषा के रूप में व्याख्यायित किया जाता है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं। वास्तव में सामाजिक, राजनैतिक एवं अर्थशास्त्रीय संदर्भों के आधार पर व्यक्ति यह निश्चित करते हैं कि कौन-सी भाषाएँ शिक्षा, प्रशासन, न्यायिक मामलों, संचार आदि में प्रयुक्त की जाएँगी। सैद्धांतिक तौर पर भाषा में कुछ भी किसी भी तरीके से किया जा सकता है। चाहे वह मानविकी, समाज विज्ञान और विज्ञान के विषयों में उच्च स्तरीय शोध क्यों न हो। अतः यह स्वभाविक है कि सुविधाहीन और वंचित वर्ग की भाषा को ऐसी अभिव्यक्ति कभी भी नहीं मिल पाएगी यदि हम उसे किसी प्रकार का ढाँचागत आधार प्रदान न करें जिससे विभिन्न संदर्भों में उसका इस्तेमाल हो सकें।

1.8 भाषा और जैंडर

जैंडर का सवाल संसार की आधी नहीं समूची मानवीय आबादी का सवाल है। एक समय के भीतर भाषा की संरचना में बड़ी संख्या में ऐसे तत्व हैं जो जैंडर स्टीरियोटाइप (रुढ़िबद्धता) की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। केवल बड़े-बड़े विद्वान ही नहीं बल्कि कुछ प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिकों ने भी ‘औरतों की बोली’ को ‘महत्वहीन’ और ‘सजावट वस्तु’ के अतिरिक्त और कुछ नहीं माना है। परंतु शाब्दिक और वाक्यपरक अभिव्यक्तियों के महत्वपूर्ण हिस्से लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं। स्त्री-पुरुष की बातचीत के विस्तृत विश्लेषण से भी यह पता चला कि पुरुष अपने विचार मनवाने के लिए विभिन्न संप्रेषणात्मक युक्तियों का किस प्रकार इस्तेमाल करता है।

‘पुरुषोचित’ और ‘स्त्रियोचित’ की पूर्वनिर्धारित संकल्पनाएँ व्यवहार में लगातार पुनः परिभाषित होती रहती हैं और शायद कई बार अनजाने ही हमारी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से प्रसारित होती रहती हैं। वास्तव में दिनों-दिन स्पष्ट होती जा रही है। इस तरह के सोच के निर्माण में भाषा और अन्य दृश्य-सामग्री केंद्रीय भूमिका निभाती है। हमें भाषा के इस पक्ष पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। पाठ्यपुस्तक के लेखकों एवं शिक्षकों को समझना जरूरी है कि सामान्यतः हमारे समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित कुछ निष्क्रिय और अलग तरह के काम जो महिलाओं के साथ जोड़े गए हैं इन्हें जल्द से जल्द खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। स्त्रियों की आवाज़ को अपनी दमक, ऐश्वर्य, विविधता के साथ हमारी पाठ्यपुस्तकों एवं शिक्षण पद्धतियों में महत्वपूर्ण स्थान देने की आवश्यकता है।



1.9 भाषा-शिक्षण के उद्देश्य

चौंकि स्कूल आने से पहले अधिकांश बच्चों के मानस में भाषायी व्यवस्था पूरी तरह विकसित हो चुकी होती है, अतः स्कूल की पाठ्यचर्या में भाषाएँ पढ़ाने के विशेष उद्देश्य होने चाहिए। भाषा-शिक्षण का एक उद्देश्य समझकर पढ़ना और लिखना सिखाना और विद्यार्थियों में अपने आप सीखने की क्षमता पैदा करना है। हम बच्चों को अधिभाषा के रूप में भाषा की भूमिका का अहसास कराएँ। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम बच्चों में बहुभाषिकता की मात्रा को और पहले से मौजूद जानकारी को बनाए रखें तथा उसका संवर्धन करें। हम बच्चों में विनम्रता की युक्तियों और आग्रह-शक्ति भी विकसित करना चाहेंगे ताकि वे सहिष्णुता और गरिमा के साथ अभिव्यक्ति कर सकें।

यद्यपि शिक्षण पद्धतियाँ और शिक्षण सामग्री कई प्रकार की हो सकती है, फिर भी शिक्षा की दुनिया में भाषा की कक्षाएँ प्रायः रोचक और चुनौतीभरी नहीं होती हैं। भाषा की कक्षाओं पर हमारे यहाँ अभी भी व्यवहारवाद और उपदेशात्मकता छायी हुई है। बच्चे जो भाषाएँ पढ़ाने से जानते हैं उन भाषाओं में भी बच्चों की कोई विशेष प्रगति देखने में नहीं आती। जहाँ तक अंग्रेजी जैसी द्वितीय भाषाओं का प्रश्न है, 6 से 10 वर्षों की पढ़ाई के बावजूद भी बच्चे इन भाषाओं में बुनियादी निपुणता नहीं हासिल कर पाते। संस्कृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं का शिक्षण तो कुछ चुने हुए पाठों और संज्ञा, क्रिया आदि की अभिरचनाओं को याद करने तक सीमित रह जाता है। अनेक अध्ययन और शोध इस यथार्थ की पुष्टि कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने विशिष्ट संदर्भों को समझें, प्रासंगिक उद्देश्यों को पहचानें और उसके अनुरूप उचित प्रविधियों, सामग्री तथा शिक्षण-प्रशिक्षण के कार्यक्रम, मापदंड/मॉड्यूल विकसित करें। एक लंबे समय से हम भाषा-शिक्षण के उद्देश्यों की बात सुनने, बोलने, लिखने व पढ़ने के कौशलों के संदर्भ में करते रहे हैं (हाल के वर्षों में बड़े-बड़े संप्रेषण कौशलों, एक्सेंट न्यूट्रलाइजेशन और स्तर प्रशिक्षण की बात करने लगे हैं, पर वह भी काफ़ी सोचनीय ढंग से।) केवल पृथक कौशलों पर ही बल देने के काफ़ी बुरे परिणाम हुए हैं। अतः हमारा निवेदन है कि भाषायी निपुणता को सम्यक् और समग्र परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। आखिरकार बोलने के साथ-साथ हम सुनते भी हैं और जब हम लिखते हैं तो हम कई अर्थों में पढ़ते भी हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थितियाँ भी होती हैं जब हम इन चारों कौशलों और अन्य अनेक संज्ञानात्मक क्षमताओं का एक साथ प्रयोग करते हैं, जैसे कुछ लोगों द्वारा किसी नाटक को इकट्ठा पढ़ना और उसके मंचन के लिए कुछ बिंदु लिखना।

कमिस्त और स्वेन ने बुनियादी अंतर्व्यक्तीय संप्रेषण के कौशलों और उन्नत संज्ञानात्मक भाषायी निपुणता के बीच आधारभूत अंतर की बात की है। भाषायी क्षमता का संबंध उन बुनियादी कौशलों से है जिनकी आवश्यकता उन स्थितियों में होती है तथा जिनमें ऊँचे स्तर के संज्ञान (बौद्धिकता) की ज़रूरत नहीं होती। ‘यहाँ’ और ‘अभी’ की भाषा तथा हमउम्र लोगों के साथ संवाद के लिए इन्हीं बुनियादी कौशलों की आवश्यकता होती है। अलग-अलग भाषाओं में इन कौशलों से जुड़ी क्षमता का अर्जन लगभग नए सिरे से होता है, हालाँकि भारत जैसे बहुभाषी समाजों में लोग भाषा-अर्जन की सहज प्रक्रिया में ही ये क्षमताएँ सीख जाते हैं। संज्ञानात्मक निपुणता से जुड़ी क्षमताओं की ज़रूरत उन स्थितियों में होती है जिनका संदर्भ समृद्ध नहीं होता तथा जो ऊँचे संज्ञान-स्तर की माँग करती है। ये क्षमताएँ प्रायः शिक्षक के मार्गदर्शन में अर्जित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, जब माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी को किसी ऐसे विषय पर निबंध लिखने को कहा जाए जिससे वह परिचित नहीं है या उसे किसी अखबार के संपादकीय को समीक्षा करने की दृष्टि से पढ़ने को कहा जाए तो उसे संज्ञानात्मक निपुणता से जुड़ी क्षमताओं की सहायता लेनी पड़ेगी। इन क्षमताओं का संबंध किसी भाषा विशेष से नहीं होता। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि स्कूली शिक्षा पूरी होने तक विद्यार्थी कम से कम तीन भाषाओं के संदर्भ में यह संज्ञानात्मक निपुणता हासिल कर लें। इसके अतिरिक्त एकाध अन्य भाषाओं में बुनियादी कौशल तो हासिल होने ही चाहिए।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए भाषा-शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं:

● सुने हुए को समझने की क्षमता

विद्यार्थी वक्ता की बात को समझने के लिए उससे मिलने वाले विभिन्न गैर-भाषायी संकेतों की मदद ले पाएँ। कभी-कभी किसी वाक्य के अर्थ का संबंध उससे पहले बोली के साथ होता है और कभी-कभी कही गई बात के निहितार्थ को समझने के लिए हमें अनुमान लगाना होता है। बच्चों की भाषायी समझ बनाने के लिए भाषा-विशेष की ध्वनियों से वाकिफ़ होना ही काफ़ी नहीं है। वास्तविक जीवन-संदर्भ में कही गई बात के बीच का अंतराल व चुप्पी भी सार्थक होती है, बच्चों में यह समझ बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी ओर परिवेश में मौजूद तरह-तरह की आवाजों के प्रति (जैसे, पंखे, बस, तबला, सितार) संवेदनशीलता भी भाषायी समझ का एक आयाम है।

● अक्षरों को जोड़कर पढ़ने की बजाय समझकर पढ़ने की क्षमता

सुनने के कौशल की तरह पढ़ने के कौशल का विकास भी एकरेखीय ढंग से न हो और बच्चे आगे-पीछे के संदर्भ में पढ़कर अर्थग्रहण कर पाएँ। साथ ही वे वाक्य-विन्यास, अर्थ और अक्षरों की आकृति व ध्वनि संबंधी विभिन्न प्रकार के संकेतों की सहायता लें। विद्यार्थी में पाठ को समीक्षात्मक दृष्टि से पढ़ने और पढ़ने की प्रक्रिया में सवाल उठाने का आत्मविश्वास पैदा होना भी बहुत जरूरी है। विद्यार्थी की पढ़ने की क्षमता को आँकने का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड यह है कि वे अपनी संज्ञानात्मक क्षमता से एक स्तर ऊपर की किसी अपठित रचना को समीक्षात्मक दृष्टि से सराह सकें।

● सहज अभिव्यक्ति

विद्यार्थी विविध स्थितियों में अपने संप्रेषण कौशलों का इस्तेमाल कर सकें। उनके पास विभिन्न भाषा-शैलियों का भंडार हो जिनमें से वे आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त शैली चुन सकें। वह किसी बहस में तार्किक, विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक ढंग से हिस्सा ले सकें। इन सारे क्रियाकलापों में स्वाभाविक तौर पर चारों कौशलों का इस्तेमाल एक साथ होगा।

● सुसंगत लेखन

लिखना यांत्रिक कौशल नहीं है। लिखने के लिए व्याकरण, शब्द-भंडार, विषयवस्तु, विराम-चिह्नों के प्रयोग पर अधिकार तो होना ही चाहिए, इसके साथ विद्यार्थियों में अपने विचारों को सुसंगत और सरल ढंग से अभिव्यक्ति करने का कौशल एवं आत्मविश्वास विकसित हो। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वे स्वयं अपने विषय चुनें, विचारों को व्यवस्थित करें और संभावित पाठक को ध्यान में रखते हुए पाठकबोध के साथ लिखें। यह तभी संभव होगा जब हम उनके लेखन को तैयार और अंतिम उत्पाद/कृति के रूप में न देखकर, उसे एक व्यवस्थित प्रक्रिया का परिणाम मानें। विद्यार्थियों में यह क्षमता हो कि वे विभिन्न प्रकार की औपचारिक-अनौपचारिक स्थितियों में तरह-तरह के उद्देश्यों की माँग के अनुरूप लिख सकें।

● विभिन्न प्रयुक्तियों पर अधिकार

भाषा का प्रयोग कभी भी एकरूप ढंग से नहीं होता। उसकी असंख्य रूपों, विविधताएँ और छटाएँ होती हैं जो अलग-अलग विषय-क्षेत्रों और स्थितियों में उभरकर सामने आती हैं। ‘प्रयुक्ति’ के नाम से जानी जाने वाली ये विविधताएँ विद्यार्थियों के भाषा-भंडार का हिस्सा होनी चाहिए। स्कूली विषयों की प्रयुक्ति के अलावा संगीत, खेल, फिल्म, बागवानी, राजगीरी, पाक-कला जैसे क्षेत्रों की प्रयुक्तियों से भी विद्यार्थी परिचित हों और उनका प्रयोग कर पाएँ।





● भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन

भाषा की कक्षा में अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियाँ और किए जाने वाले कार्य ऐसे हों कि विद्यार्थी उनके ज़रिये अन्वेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुज़रें। इसके अंतर्गत वे भाषा का डेटा इकट्ठा करें, उनका अवलोकन करके अंतर और समानताओं के आधार पर वर्गीकरण करें और नियमों के निष्कर्ष पर पहुँचें। ऐसी प्रक्रिया बच्चों के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों में व्याकरण की समझ विकसित करने के लिए यह तरीका व्याकरण के मानक नियम पढ़ाने की तुलना में कहीं बेहतर है। भारतीय संदर्भ में कक्षाओं की बहुभाषी प्रकृति को देखते हुए, यह पद्धति विशेष रूप से प्रभावशाली है।

● सृजनात्मकता

कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को भाषा की कक्षा में पर्याप्त अवसर और स्पेस/छूट दी जानी चाहिए। कक्षा का सकारात्मक माहौल और शिक्षक व विद्यार्थी का संबंध विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा कर सकता है जिससे वे बेद्विषक होकर पाठ पढ़ाए जाने की प्रक्रिया में और अन्य गतिविधियों में अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर सकें।

● संवेदनशीलता

विद्यार्थियों को हमारी समृद्ध संस्कृति, विरासत और समसामयिक जीवन के पक्षों से परिचित कराने के लिए भाषा की कक्षाओं में पर्याप्त संदर्भ-बिंदु मौजूद होते हैं। पाठों के माध्यम से भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को परिवेश, लोगों और देश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए।

1.10 कुछ शिक्षाशास्त्रीय सुझाव

हाल के वर्षों में भाषा-अर्जन पर हुए शोधों के प्रभाव से विद्यार्थी भाषा अधिगम की प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। अब यह माना जाने लगा है कि यदि विद्यार्थी को समृद्ध व पर्याप्त भाषायी अनुभव तथा तनावमुक्त माहौल मिलता है तो वह सहज रूप से भाषा का व्याकरण रच सकता है। जैसाकि क्राशेन ने कहा है कि उपलब्ध भाषा को विद्यार्थी तभी आत्मसात कर सकता है जब आसपास के लोगों/अध्यापक का रवैये सकारात्मक हो और उसके खुद के अंदर सीखने की प्रेरणा हो। इसके भी प्रमाण मौजूद हैं कि अपने लिखे हुए को संपादित करने की आज़ादी और समय मिलने पर बच्चे उपलब्ध भाषा-अनुभव में भी सुधार करने की कोशिश करते हैं। जब से संज्ञानात्मक प्रगति के अपेक्षाकृत क्रमबद्ध चरणों पर बल दिया जाने लगा है, त्रुटियों के प्रति शिक्षकों के रवैये में अंतर आया है वे अब त्रुटियों को जड़ से उखाड़ फेंकने लायक विकृति के रूप में नहीं, बल्कि भाषा सीखने की प्रक्रिया के सहज व अनिवार्य चरण के रूप में देखते हैं। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के केंद्र में विद्यार्थियों को रखने का एक परिणाम यह भी हुआ है कि उनकी मातृभाषाओं को सम्मान दिया जाने लगा है और उन्हें सशक्त संज्ञानात्मक संसाधन के रूप में देखा जाने लगा है। सरकारी और निजी स्कूलों में मातृभाषाओं के प्रयोग से जुड़ी हेय दृष्टि की निंदा की जानी चाहिए और कक्षा में मातृभाषाओं के रचनात्मक प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

हिंदी-पाठ्यक्रम

भाषा एक औजार है जिसका इस्तेमाल हम ज़िंदगी को समझने के लिए, उससे जुड़ने के लिए और जीवन-जगत को प्रस्तुत करने के लिए करते हैं। यह सब करने के लिए जाँच-पड़ताल, तर्क, संप्रेषण जैसे कौशलों की ज़रूरत होती है। इसके साथ-साथ भाषा यानी बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदी सीखने-सिखाने का दायरा इतना व्यापक हो कि भाषा के इन उपयोगों से उसका नाता न टूटे। इससे आगे बढ़ें तो हम पाएँगे कि भाषा हमें अपने परिवेश में कई रूपों में बिखरी मिलती है, जैसे- अखबार, साइनबोर्ड, पोस्टर, विज्ञापन आदि। इसके अतिरिक्त भाषा अपने साहित्यिक रूप

में भी उपलब्ध होती है। ऐसे में हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि स्कूल के दस-बारह वर्षों के दौरान विद्यार्थियों में हिंदी के व्यापक और विविध स्वरूप की गहरी समझ विकसित हो जाए।

ज्ञान का विस्तार

स्कूली शिक्षा पूरी होने तक विद्यार्थी का भाषा-बोध और साहित्य-बोध इस सीमा तक विकसित हो जाए कि उसमें किसी रचना के बारे में स्वतंत्रा राय बनाने का आत्मविश्वास पैदा हो सके वह पाठ्यपुस्तकों की परिधि के बाहर भी किसी रचना से जुड़कर उस पर भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रिया कर सके वह तरह-तरह के औपचारिक व अनौपचारिक विषयक्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूपों से परिचित हो और उसका प्रयोग कर सके वह संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न किस्म की शैलियों से परिचित हो सके। विद्यार्थियों को भाषा की ताकत का अहसास हो। वह इस बात को समझे कि भाषा के माध्यम से हम केवल संप्रेषण ही नहीं करते, बल्कि जो हम सोचते और महसूस करते हैं उसे सुंदर, प्रभावशाली व्यंजनात्मक और पैने ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए भाषा एक सशक्त साधन है। विद्यार्थी हिंदी की बारीकी और सुंदरता को परख सके उसे यह ज्ञान हो कि हिंदी के माध्यम से यथार्थ और काल्पनिक दुनिया की रचना की जा सकती है। भाषा के माध्यम से विद्यार्थी का ज्ञानक्षेत्र इतना विस्तृत हो कि वह राष्ट्रीय समाचारपत्रों और पत्रिकाओं की परिधि में आने वाले व्यक्ति, परिवेश और समाज से जुड़े मुद्दों की सामान्य जानकारी रख सके।

कौशलों का विस्तार

दस-बारह वर्ष तक स्कूल में हिंदी पढ़ने के बाद हिंदी पर विद्यार्थियों की पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि वे कुशल पाठक, लेखक, श्रोता व विश्लेषक हों। वे अख्यारों के संपादकीय पृष्ठ और पत्रिकाएँ बिना कठिनाई के पढ़ और समझ पाएँ और उन पर टिप्पणी कर पाएँ। वे आवश्यकता और उद्देश्यों के अनुसार किसी किताब, लेख आदि में से उपयुक्त सामग्री इकट्ठा करके उसका सटीक उपयोग कर सकें। वे रेडियो-टेलीविजन पर हिंदी में प्रसारित होने वाली औपचारिक परिचर्चाओं व भाषणों को सुनकर समझ सकें।

विद्यार्थियों में बोलने का कौशल इस सीमा तक विकसित हो चुका हो कि औपचारिक चर्चाओं व वाद-विवाद में बोलिंगक छोकर बोल सकें। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट, व्यवस्थित और असरदार ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। भाषा पर उनका इतना अधिकार हो चुका हो कि वे जीवन की विविध स्थितियों से आत्मविश्वासपूर्वक गुजर सकें। विभिन्न प्रकार के औपचारिक व अनौपचारिक संदर्भों के अनुसार उचित शैली चुन सकें। वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से किस्म-किस्म का लेखन कर सकें। भाषा को जानदार बनाने के लिए उर्दू के और आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल करने की समझ उनमें हो। पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना—इन चारों प्रक्रियाओं में विद्यार्थी अपने पूर्वज्ञान की सहायता से अर्थ की रचना कर पाएँ और कही गई बात के निहितार्थ को भी पकड़ पाएँ।

- कही या लिखी गई बात को आँख मूँदकर स्वीकार करने की बजाय विद्यार्थी उसे आलोचनात्मक दृष्टि से परखें और उस पर प्रासारिक सवाल उठाएँ।
- विद्यार्थियों के तार्किक कौशल इतने विकसित हों कि वे दो बातों के बीच के अंतस्संबंध को समझ सकें तथा अपने द्वारा कही या लिखी गई बात की तर्क से पुष्टि कर सकें।
- विद्यार्थियों में अवलोकन और विश्लेषण के कौशलों का भरपूर विकास हो चुका हो। वे चीजों, स्थितियों, लोगों, परिवेश और मनोभावों का बारीक और विश्लेषणात्मक वर्णन कर सकें। इन कौशलों की मदद से विद्यार्थी भाषा की नियमबद्धता को भी पहचान पाएँ। साथ ही साथ परिवेश और समाज के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर पाएँ।
- भाषा, कला और सृजनात्मकता तथा कल्पनाशीलता का गहरा संबंध है। विद्यार्थियों का दस-बारह वर्षों तक हिंदी के साथ संपर्क उनमें कलाबोध विकसित करे और वे आसपास बिखरी कला को उसके विविध रूपों में सराह सकें। उनके काम में कलात्मकता और सृजनशीलता झलकें।





रुझान और रवैया

स्कूली शिक्षा पूरी करने तक विद्यार्थी हिंदी से गहरी आत्मीयता महसूस करने लगें। साथ ही बाकी भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करे और उनके समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। भाषा विद्यार्थी के निर्भय व्यक्तित्व की रचना कर सके। बोलियों के प्रति विद्यार्थियों की सोच, संकीर्ण न हो और वे अच्छी तरह समझें कि भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है। यह अंतर केवल सामाजिक और राजनैतिक है। भारत की समृद्ध संस्कृतियों और रिवाजों के प्रति उनका रवैया पूर्वाग्रहों से मुक्त और सराहनापूर्ण हो। अल्पसंख्यक जातियों व समाजों के प्रति वे संवेदनशील हों और लैंगिक समता उनकी सोच एवं व्यवहार दोनों में झलकती हो। क्षमताओं का कोई एक मापदंड नहीं होता और लोगों में क्षमताओं के विविध रूप हो सकते हैं- इस बात को विद्यार्थी अच्छी तरह समझें, स्वीकारें और सराहें। विद्यार्थी भाषा और सत्ता के अंतर्संबंध से परिचित हों ताकि वे स्वयं भाषा को (जाति और लिंग के संदर्भ में) प्रभुत्व और शोषण के हथियार के रूप में इस्तेमाल न करें, न ही उसका ऐसा इस्तेमाल होने दें।

पाठ्यपुस्तकें

उपर्युक्त बातों के संदर्भ में बहुत ज़रूरी है कि भाषा-शिक्षण की पद्धतियों और पाठ्यपुस्तकों व शिक्षण सामग्री में इन विचारों की झलक और समझ मिले। यद्यपि पाठ्यपुस्तकें भाषा-शिक्षण का एकमात्र स्रोत नहीं होनी चाहिए फिर भी पाठ्यपुस्तकें हमारी स्कूली शिक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अतः उनमें संकलित रचनाएँ व अभ्यास ऐसे हों कि अपेक्षित ज्ञान, समझ, दृष्टिकोणों, कौशलों और रवैये को बनाने, सँवारने में उनकी भागीदारी हो। ये पुस्तकें साधन के रूप में भाषा की ताकत को निरंतर, कक्षा-दर-कक्षा पैना करती रहें ताकि विद्यार्थी विविध परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करने में सक्षम हों।

- इन पुस्तकों में कथात्मक और जानकारीप्रकार रचनाओं की विविधता हो जिससे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के साहित्य का परिचय मिल सके और वे ऐसी अन्य रचनाओं को समझ व सराह सकें। साथ ही साथ वे रचनाओं को आत्मसात करते हुए उन पर भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रिया कर सकें।
- किसी भी विषय का अस्तित्व शून्य में विकसित नहीं होता है, इसलिए यह ज़रूरी है कि विद्यार्थी कोई रचना पढ़ते समय अन्य विषयों की अवधारणाओं से उसे जोड़ पाएँ और उन दोनों का अंतर्संबंध देख सकें। पाठ्यपुस्तकों में कहानी, कविता, संस्मरण आदि जैसी प्रचलित विधाएँ तो हों ही, इसके अतिरिक्त अखबारी लेखन, पैरोडी, विज्ञापन, नारे, कार्टून, संदेश, भाषण, भेटवार्ता, घोषणाएँ, रहस्य-रोमांस जैसी सामग्री का भी समावेश हो। चुनी गई रचनाओं में कम से कम बीस प्रतिशत रचनाएँ अन्य भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की हों।
- इन पुस्तकों में विषयवस्तु का फलक विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हों, जैसे- पर्यावरण/परिवेश, संवैधानिक दायित्व, शांति, संस्कृति (सिनेमा, मंचन कलाएँ, खान-पान, पहनावा, त्योहार आदि), विज्ञान, इतिहास आदि।
- इन विषयवस्तुओं के जरिये भाषा के विभिन्न प्रयोगों की बानगी और भाषा की आंचलिक और साहित्यिक छटा के वैविध्य का परिचय भी हो ताकि विद्यार्थी उसकी बारीकी, सौंदर्य और आंचलिकता की सराहना कर सके और उसकी समालोचना कर सके।
- रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न विषयों से जुड़े भाषा-प्रयोग और शैलियों से परिचित हो सकें।
- पाठ्यपुस्तकों में रचनाएँ एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उनको परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव-स्तर से तादात्य का मौका देते हैं। परखना, विश्लेषण, आलोचना आदि के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता होती है इन अभ्यासों के माध्यम से उनके अवसर मिलते हैं। भाषावी और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार करने और सराहने की संवेदनशीलता अभ्यास-प्रश्नों के जरिये विकसित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पुस्तकों में विविध विषयों के संदर्भ में परिवेश और समाज के अवलोकन और बारीक विवरण से संबंधित प्रश्न भी होने चाहिए। चूँकि कक्षा में कक्षा से बाहर की भाषा का विश्लेषण भाषा के विकास का सशक्त साधन है, इसलिए ऐसे प्रश्न भाषा के संदर्भ में भी दिए जा सकते हैं ताकि



विद्यार्थी भाषा की संरचना की पड़ताल और विश्लेषण कर पाएँ। यह विश्लेषण कक्षा के बहुभाषी संदर्भ में भी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रश्नों के जरिए, किसी रचना, विषय आदि को अनेक पहलुओं से देखने की सम्यक् दृष्टि विकसित की जाए।

- कक्षा 9 और 10 मातृभाषा, द्वितीय भाषा और कक्षा 11 और 12 (आधार) में व्यावहारिक व्याकरण की एक संक्षिप्त पुस्तक तैयार की जा सकती है जो आदेशात्मक और वर्णनात्मक न होकर विश्लेषणात्मक हो। यह पुस्तक अध्यापकों के लिए होगी।

व्याकरण

बच्चों की भाषा में इस बात के पर्याप्त संकेत मिलते हैं कि वे अपनी भाषा का व्याकरण अच्छी तरह जानते हैं। पर व्याकरण की सचेत समझ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को उसके विभिन्न पक्षों की पहचान विविध पाठों के संदर्भ में और आसपास के परिवेश से जोड़कर कराई जाए। व्याकरण की अवधारणाओं की अमूर्त परिभाषाएँ याद करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उन्हें वास्तविक संदर्भों में समझना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यपुस्तकों के अभ्यास प्रश्न और कक्षा में शिक्षक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यावहारिक गतिविधियाँ और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। व्याकरण के पक्षों की समझ चरणबद्ध क्रम में विकसित की जा सकती है : पहला चरण पहचान का है और दूसरा चरण प्रयोग का है। उदाहरण-1 कक्षा III में नाम वाले शब्दों के बारे में बच्चों को पाठ और कक्षा के परिवेश के संदर्भ में (जैसे, किताब, रोटी, मेज, पंखा, रसीद, रिबन, जूता, दीवार, छत आदि) बताया जा सकता है। कक्षा IV में बच्चे ऐसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं या किसी बच्चे द्वारा बनाई गई कहानी। घटना आदि में नाम वाले शब्द ढूँढ़ सकते हैं। कक्षा V में नाम वाले शब्दों को संज्ञा का नाम दिया जा सकता है और कक्षा VI में बच्चों को संज्ञा के भेदों के बारे में बताया जा सकता है।

उदाहरण-2 पाठ्यपुस्तक के अभ्यास-प्रश्नों में या कक्षा में शिक्षक द्वारा एक प्रकार के शब्दों की सूची दी जा सकती है जिसका अवलोकन करके बच्चे उनमें होने वाले बदलावों को पहचान सकते हैं- (एक) गेंद- (तीन) गेंदे - (एक) गिलास- (पाँच) गिलासों (एक) सड़क- (कई) सड़कें- (एक) भैंस - (कई) भैंसें। बच्चों द्वारा इन परिवर्तनों को पकड़ पाना भाषा के नियमबद्ध स्वरूप को समझ पाने की दिशा में पहला कदम है।

पाठ्यक्रम में कक्षानुसार व्याकरण के कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यपुस्तक निर्माता और शिक्षक पाठ में सहज रूप से उभरकर आने वाले व्याकरण संबंधी और भाषा की बारीकी व सुंदरता संबंधी अन्य पक्षों को क्रमशः समझने और सराहने में छात्र-छात्रों की सहायता करें। एक कक्षा में चर्चित बिंदुओं की चर्चा दूसरी कक्षाओं में भी जारी रह सकती है। ऊपर की पक्तियों में चर्चित उदाहरणों के अलावा कई गतिविधियों और युक्तियों को भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे- क्लोज टेस्ट, शब्द-कड़ी, अंत्याक्षरी आदि।

हिन्दी मातृभाषा (कक्षा IX-X)

नवीं कक्षा में दाखिल होने वाले विद्यार्थी की भाषा, शैली और विचार बोध का ऐसा आधार बन चुका होता है कि उसे उसके भाषिक दायरे के विस्तार और वैचारिक समृद्धि के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराए जाएँ। माध्यमिक स्तर तक आते-आते विद्यार्थी किशोर हो गया होता है और उसमें बोलने, पढ़ने, लिखने के साथ-साथ आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होने लगती है। भाषा के सौंदर्यात्मक पक्ष, कथात्मकता/गीतात्मकता, अखबारी समझ, शब्द की दूसरी शक्तियों के बीच अंतर, राजनैतिक चेतना, सामाजिक चेतना का विकास, उसमें बच्चे की अपनी अस्मिता का संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त भाषा-प्रयोग, शब्दों के सुचिंति इस्तेमाल, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति आदि से विद्यार्थी परिचित हो जाता है। इतना ही नहीं वह विभिन्न विधाओं और अभिव्यक्ति की अनेक शैलियों से भी वाकिफ़ होता है। अब विद्यार्थी की पढ़ाई आस-पड़ोस, राज्य -देश की सीमा को लाँघते



हुए वैशिक क्षितिज तक फैल जाती है। इन बच्चों की दुनिया में समाचार, खेल, फिल्म तथा अन्य कलाओं के साथ-साथ पत्र-पत्रिकाएँ और अलग-अलग तरह की किताबें भी प्रवेश पा चुकी होती हैं।

इस स्तर पर मातृभाषा हिंदी का अध्ययन साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक भाषा के रूप में कुछ इस तरह से हो कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पहुँचते-पहुँचते यह विद्यार्थियों की पहचान, आत्मविश्वास और विमर्श की भाषा बन सके। प्रयास यह भी होगा कि विद्यार्थी भाषा के लिखित प्रयोग के साथ-साथ सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में भी सक्षम हो सके।

इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से -

- (i) विद्यार्थी अगले स्तरों पर अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप हिंदी की पढ़ाई कर सकेंगे तथा हिंदी में बोलने और लिखने में सक्षम हो सकेंगे।
- (ii) अपनी भाषा दक्षता के चलते उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, समाज विज्ञान और अन्य पाठ्यक्रमों के साथ सहज संबद्धता (अंतर्संबंध) स्थापित कर सकेंगे।
- (iii) दैनिक व्यवहार, आवेदन-पत्र लिखने, अलग-अलग किस्म के पत्र लिखने, तार (टेलिग्राम) लिखने, प्राथमिकी दर्ज कराने इत्यादि में सक्षम हो सकें।
- (iv) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पहुँचकर विभिन्न प्रयुक्तियों की भाषा के द्वारा उनमें वर्तमान अंतर्संबंध को समझ सकेंगे।
- (v) हिंदी में दक्षता को वे अन्य भाषा-संरचनाओं की समझ विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, स्थानांतरित कर सकेंगे।

कक्षा IX-X मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य :

- कक्षा आठ तक अर्जित भाषिक कौशलों (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और चिंतन) का उत्तरोत्तर विकास।
- सृजनात्मक साहित्य के आलोचनात्मक आस्वाद की क्षमता का विकास।
- स्वतंत्र और मौखिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का विकास।
- ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति एवं क्षमता का बोध कराना।
- साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं (राष्ट्रीयताओं, धर्म, जेंडर, भाषा) के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील रवैये का विकास।
- जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयताओं, क्षेत्र आदि से संबंधित पूर्वग्रहों के चलते बनी रूढ़ियों की भाषिक अभिव्यक्तियों के प्रति सजगता।
- विदेशी भाषाओं समेत गैर हिंदी भाषाओं की संस्कृति की विविधता से परिचय।
- व्यावहारिक और दैनिक जीवन में विविध किस्म की अभिव्यक्तियों की मौखिक व लिखित क्षमता का विकास।
- संचार माध्यमों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से अवगत कराना और नए-नए तरीके से प्रयोग करने की क्षमता से परिचय।
- सघन विश्लेषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और तर्कक्षमता का विकास।
- अमूर्तन की पूर्व अर्जित क्षमताओं का उत्तरोत्तर विकास।
- भाषा में मौजूद हिंसा की संरचनाओं की समझ का विकास।
- मतभेद, विरोध और टकराव की परिस्थितियों में भी भाषा के संवेदनशील और तर्कपूर्ण इस्तेमाल से शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता का विकास।
- भाषा की समावेशी और बहुभाषिक प्रकृति के प्रति ऐतिहासिक नज़रिए का विकास।

- शारीरिक और अन्य सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों में भाषिक क्षमताओं के विकास की उनकी अपनी विशिष्ट गति और प्रतिभा की पहचान।

पाठ्य-सामग्री

इस स्तर पर विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता तथा स्तरानुकूल भाषी विकास की दृष्टि से पाठ्यसामग्री तैयार की जाएगी।

कक्षा IX और X के लिए

1. काव्य और गद्य संग्रह भाग-1 और भाग-2
(प्रमुख रचनाकारों द्वारा लिखे साहित्य की विविध विधाओं से संबंधित काव्य और गद्य के लगभग 15-18 पाठ होंगे।) प्रश्न-अभ्यासों के द्वारा पाठगत संदर्भयुक्त भाषिक-प्रयोगों की ओर ध्यान दिलाते हुए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति से परिचित कराया जाएगा। इस पुस्तक के अंत में परिशिष्ट के रूप में भिन्न ज्ञानानुशासनों में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची होगी।
2. पूरक पाठ्यपुस्तक- विद्यार्थियों में पठन रुचि पैदा करने के लिए साहित्य की विविध विधाओं की रचनाओं का एक-एक संकलन (भाग 1-2) कक्षा IX और X के लिए तैयार किया जाएगा।
3. अध्यापकों को संबोधित पुस्तक-(इसमें विभिन्न विधाओं से संबंधित शिक्षण-युक्तियों का परिचय होगा।) इस पुस्तक में भाषा और व्याकरण से परिचित कराने की नई तकनीक पर भी चर्चा होगी। इसी पुस्तक में रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन के अंतर्गत पुस्तक-समीक्षा, यात्रावृत्तान्त, साक्षात्कार आदि पर ऐसी सामग्री होगी जिसके सहारे अध्यापक कक्षा में इनका अभ्यास करा सकें। इसी पुस्तक में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संबंधी सामग्री के उपयोग से प्रभावशाली शिक्षण पर भी विचार होगा।
(यह पुस्तक IX और X दोनों कक्षाओं के लिए संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी)

शिक्षण-युक्तियाँ

माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापक की भूमिका उचित वातावरण के निर्माण में सहायक की होनी चाहिए। भाषा और साहित्य की पढ़ाई में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत होगी कि-

- विद्यार्थी द्वारा की जा रही गलतियों को भाषा के विकास के अनिवार्य चरण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी अबाध रूप से बिना झिझक लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करने में उत्साह का अनुभव करें। विद्यार्थियों पर शुद्धि का ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए कि वे तनावग्रस्त माहौल में पड़ जाएँ। उन्हें भाषा के सहज, कारगर और रचनात्मक रूपों से इस तरह परिचित कराना उचित है कि वे स्वयं सहजरूप से भाषा का सृजनकर सकें।
- गलत से सही दिशा की ओर पहुँचने का प्रयास हो। विद्यार्थी स्वतंत्र और अबाध रूप से लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करें। अगर कहीं भूल होती है तो अध्यापक को अपनी अध्यापन शैली में परिवर्तन की आवश्यकता होगी।
- ऐसे शिक्षण-बिंदुओं की पहचान की जाए जिससे कक्षा में विद्यार्थी निरंतर सक्रिय भागीदारी करें और अध्यापक भी इस प्रक्रिया में उनका साथी बनें।
- हर भाषा का अपना एक नियम और व्याकरण होता है। भाषा की इस प्रकृति की पहचान कराने में परिवेशगत और पाठगत संदर्भों का ही प्रयोग करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं को शोधकर्ता समझें तथा अध्यापक इसमें केवल निर्देशन करें।
- हिंदी में क्षेत्रीय प्रयोगों, अन्य भाषाओं के प्रयोगों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है कि भाषा अलगाव में नहीं बनती और उसका परिवेश अनिवार्य रूप से बहुभाषिक होता है।





- शारीरिक बाधाग्रस्त विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण-सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तथा किसी भी प्रकार से उन्हें अन्य विद्यार्थियों से कमतर या अलग न समझा जाए।
- कक्षा में अध्यापक को हर प्रकार की विभिन्नताओं (जेंडर, जाति, वर्ग, धर्म) के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील वातावरण निर्मित करना चाहिए।
- परंपरा से चले आ रहे मुहावरों, कहावतों (जैसे, रानी रूठेगी तो अपना सुहाग लेगी) आदि के जरिए विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रहों की समझ पैदा करनी चाहिए और उनके प्रयोग के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करनी चाहिए।
- मध्यकालीन काव्य की भाषा के र्थम से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए जरूरी होगा कि किताबों में आए काव्यांशों की संगीतबद्ध प्रस्तुतियों के ऑडियो-वीडियो कैसेट तैयार किए जाएँ। अगर आसानी से कोई गायक/गायिका मिले तो कक्षा में मध्यकालीन साहित्य के अध्यापन शिक्षण में उससे मदद ली जानी चाहिए।
- वृत्तचित्रों और फीचर फिल्मों को शिक्षण-सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इनके प्रदर्शन के क्रम में इन पर लगातार बातचीत के ज़रिये सिनेमा के माध्यम से भाषा के प्रयोग की विशिष्टता की पहचान कराई जा सकती है और हिंदी की अलग-अलग छटा दिखाई जा सकती है।
- कक्षा में सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक की भौतिक उपस्थिति से बेहतर यह है शिक्षक के हाथ में तरह-तरह की पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी देख सकें और शिक्षक उनका कक्षा में अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल कर सकें।
- भाषा लगातार ग्रहण करने की प्रक्रिया में बनती है, इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद यह सिखा सकें कि वे भी शब्दकोश, साहित्यकोश, संदर्भग्रंथ की लगातार मदद ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में इनके इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता बढ़ेगी। अनुमान के आधार पर निकटतम अर्थ तक पहुँचकर संतुष्ट होने की जगह वे अधिकतम अर्थ की खोज करने का अर्थ समझ जाएँगे। इससे शब्दों की अलग-अलग रंगत का पता चलेगा वे शब्दों के बारीक अंतर के प्रति और सजग हो पाएँगे।

व्याकरण बिंदु

विद्यार्थियों को मातृभाषा के संदर्भ में व्याकरण के विभिन्न पक्षों का परिचय कक्षा III से ही मिलने लगता है। हिंदी भाषा में इन पक्षों और हिंदी की अपनी भाषागत विशिष्टताओं की चर्चा पाठ्यपुस्तक और अन्य शिक्षण-सामग्री के समृद्ध संदर्भ में की जानी चाहिए। नीचे कक्षा VI से X के लिए कुछ व्याकरणिक बिंदु दिए गए हैं जिन्हें कक्षा या विभिन्न चरणों के क्रम में नहीं रखा गया है।

संरचना और अर्थ के स्तर पर भाषा की विशिष्टताओं की परिधि इन व्याकरणिक बिंदुओं से कहीं अधिक विस्तृत है। वे बिंदु इन विशिष्टताओं का संकेत भर हैं जिनकी चर्चा पाठ के सहज संदर्भ में और बच्चों के आसपास उपलब्ध भाषायी परिवेश को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

कक्षा VI से X तक के लिए कुछ व्याकरण बिंदु

- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण
- लिंग, वचन, काल
- पदबंध में लिंग और वचन का विशेषण पर प्रभाव
- वाक्य में कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का क्रिया पर प्रभाव
- परस्ग, ने का क्रिया पर प्रभाव
- अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक
- सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य
- कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य
- समुच्चयबोधक शब्द और अन्य अविकारी शब्द
- पर्यायवाची, विलोम, समास, अनेककार्थी, श्रुतिसम्भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे

IX-X द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी (कक्षा IX-X)

भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें बहुत सी क्षेत्रीय भाषाएँ रची-बसी हैं। भाषिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भिन्न होने के बावजूद भारतीय परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो एक दूसरे को जोड़ता है। यही कारण है कि मातृभाषा के रूप में अलग भाषा को पढ़ने वाला विद्यार्थी जब दूसरी भाषा के रूप में हिंदी का चुनाव करता है तो उसके पास अभिव्यक्ति का एक दृढ़ आधार पहली भाषा के रूप में पहले से ही मौजूद होता है। इसीलिए छठी से आठवीं कक्षा में सीखी हुई हिंदी का विकास भी वह तेजी से करने लगता है। आठवीं कक्षा तक वह हिंदी भाषा में सुनने, पढ़ने, लिखने और कुछ-कुछ बोलने का अभ्यास कर चुका होता है। हिंदी की बाल पत्रिकाएँ और छिटपुट रचनाएँ पढ़ना भी अब उसे आ गया है। इसीलिए जब वह नवीं, दसवीं कक्षा में हिंदी पढ़ेगा तो जहाँ एक ओर हिंदी भाषा के माध्यम से सारे देश से जुड़ेगा वहीं दूसरी ओर अपने क्षेत्र और परिवेश को हिंदी भाषा के माध्यम से जानने की कोशिश भी करेगा क्योंकि किशोरवय के इन बच्चों के मानसिक धरातल का विकास विश्व स्तर तक पहुँच चुका होता है।

शिक्षण उद्देश्य

- दैनिक जीवन में हिंदी में समझने-बोलने के साथ-साथ लिखने की क्षमता का विकास करना।
- हिंदी के किशोर-साहित्य, अखबार व पत्रिकाओं को पढ़कर समझ पाना और उसका आनंद उठाने की क्षमता का विकास करना।
- औपचारिक विषयों और संदर्भों में बातचीत में भाग ले पाने की क्षमता का विकास करना।
- हिंदी के जरिये अपने अनुभव-संसार को लिखकर सहज अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम बनाना।
- संचार के विभिन्न माध्यमों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रयुक्त हिंदी के विभिन्न रूपों को समझने की योग्यता का विकास करना।
- कक्षा में बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील सकारात्मक सोच बनाना।
- अपनी मातृभाषा और परिवेशगत भाषा को साथ रखकर हिंदी की संरचनाओं की समझ बनाना।

माध्यमिक तथा
उच्च माध्यमिक
कक्षाओं
के लिए
पाठ्यक्रम

174

पाठ्यसामग्री और पाठ्य बिंदु

कक्षा IX और X के लिए

1. पाठ्यपुस्तक-काव्य और गद्य संग्रह (भाग 1 और 2)

इस पुस्तक में कविता और गद्य के रुचिकर पाठों को स्थान दिया जाएगा। ये रचनाएँ देश में प्रचलित हिंदी के विभिन्न रूपों को बताते हुए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति का उदाहरण होंगी। क्षेत्रीयता व आंचलिकता से बचते हुए भाषिक विविधता की पहचान कराई जाएगी। अभ्यास-प्रश्नों में पाठों की संदर्भगत भाषिक संरचनाओं से परिचित कराया जाएगा। पाठ्यपुस्तक के अंत में भिन्न ज्ञानानुशासनों में प्रयुक्त हिंदी शब्दावलियों से परिचित कराया जाएगा।

2. पूरक पाठ्यपुस्तक- विद्यार्थियों में पठन रुचि पैदा करने के लिए साहित्य की विविध विधाओं की रचनाओं का एक-एक संकलन (भाग 1-2) कक्षा IX और X के लिए तैयार किया जाएगा।

3. अध्यापकों को संबोधित एक पुस्तक -इस पुस्तक में साहित्य से भाषा की ओर ले जाने की युक्ति की चर्चा होगी। मौखिक (संवाद, वाद-विवाद, भाषण आदि) तथा लिखित (पुस्तक-समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, अनुच्छेद लेखन आदि) भाषा की विशेषता पर कुछ सुझाव तथा टिप्पणियाँ।

टिप्पणी :

- इस पुस्तक में शारीरिक रूप से बाधाग्रस्त विद्यार्थियों का खास ख्याल रखा जाएगा।
- दृश्य-श्रव्य और मुख्य सामग्री के उपयोग से भाषा-शिक्षण को सुगम बनाया जाएगा। जो भाषा की विशेष प्रकृति को समझने में भी मदद करेंगे।



शिक्षण-युक्तियाँ :

- द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही हिंदी भाषा का स्तर पढ़ने और पढ़ाने दोनों ही दृष्टियों से मातृभाषा सीखने की तुलना में कुछ मंथर गति से चलेगा। यह गति धीरे-धीरे बढ़ सके, इसके लिए हिंदी अध्यापकों को बड़े धीरज से अपने अध्यापन कार्यक्रमों को नियोजित करना होगा। किसी भी द्वितीय भाषा में निपुणता प्राप्त करने-कराने का एक ही उपाय है— उस भाषा का लगातार रोचक अभ्यास करना-कराना। ये अभ्यास जितने अधिक रोचक, सक्रिय एवं प्रासंगिक होंगे, विद्यार्थियों की भाषिक उपलब्धि भी उतनी ही तेजी से हो सकेगी। मुखर भाषिक अभ्यास के लिए वार्तालाप, रोचक कहानी सुनना-सुनाना, घटना, वर्णन, चित्र-वर्णन, संवाद, वाद-विवाद, अभिनय, भाषण प्रतियोगताएँ, कविता पाठ और अंत्याक्षरी जैसी गतिविधियों का सहारा लिया जा सकता है।
- मध्यकालीन काव्य की भाषा के मर्म से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए जरूरी होगा कि किताबों में आए काव्यांशों की संगीतबद्ध प्रस्तुतियों के ऑडियो-वीडियो कैसेट तैयार किए जाएँ। अगर आसानी से कोई गायक/गायिका मिले तो कक्षा में मध्यकालीन साहित्य के अध्यापन/शिक्षण में उससे मदद ली जानी चाहिए।
- वृत्तचित्रों और फीचर फ़िल्मों को शिक्षण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इनके प्रदर्शन के क्रम में इन पर लगातार बातचीत के ज़रिये सिनेमा के माध्यम से भाषा के प्रयोग की विशिष्टता की पहचान कराई जा सकती है और हिंदी की अलग-अलग छटा दिखाई जा सकती है।
- कक्षा में सिफ़्र एक पाठ्यपुस्तक की भौतिक उपस्थिति से बेहतर यह है शिक्षक के हाथ में तरह-तरह की पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी देख सके और शिक्षक उनका कक्षा में अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल कर सके।
- भाषा लगातार ग्रहण करने की प्रक्रिया में बनती है, इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद यह सिखा सकें कि वे भी शब्दकोश, साहित्यकोश, संदर्भग्रंथ की लगातार मदद ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में इनके इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता बढ़ेगी। अनुमान के आधार पर निकटतम अर्थ तक पहुँचकर संतुष्ट होने की जगह वे अधिकतम अर्थ की खोज करने का अर्थ समझ जाएँगे। इससे शब्दों की अलग-अलग रंगत का पता चलेगा भी उनमें संवेदनशीलता बढ़ेगी। वे शब्दों के बारीक अंतर के प्रति और सजग हो पाएँगे।

व्याकरण के बिंदु

कक्षा IX

- वर्ण-विच्छेद, वर्तनी : र के विभिन्न रूप, बिंदु-चंद्रबिंदु, अर्धचंद्राकार नुक्ता
- तरह-तरह के पाठों के संदर्भ में शब्दों के अवलोकन द्वारा उपसर्ग, प्रत्यय और समास शब्दों की पहचान
- वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्दों का सुचिंतित प्रयोग
- मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग और उनके लिए उचित संदर्भ/स्थितियों का वर्णन

कक्षा X

- शब्द, पद और पदबंध में अंतर
- मिश्र और संयुक्त वाक्यों की संरचना और अर्थ, वाक्य रूपांतरण
- शब्दों के अवलोकन द्वारा संधि की पहचान, कुछ और उपसर्गों, प्रत्ययों और समास शब्दों की पहचान और उनके अर्थ का अनुमान
- मुहावरों और लोकोक्तियों का अंतर और उनका प्रयोग
- वाक्य के स्तर पर पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी शब्दों का सुचिंतित प्रयोग

XI XII

हिंदी (ऐच्छिक) XI-XII

उच्चतर माध्यमिक स्तर में प्रवेश लेने वाला विद्यार्थी पहली बार सामान्य शिक्षा से विशेष अनुशासन की शिक्षा की ओर उन्मुख होता है। दस वर्षों में विद्यार्थी भाषा के कौशलों से परिचित हो जाता है। भाषा और साहित्य के स्तर पर उसका दायरा अब घर, पास-पड़ोस, स्कूल, प्रांत और देश से होता हुआ धीरे-धीरे विश्व तक फैल जाता है। वह इस उम्र में पहुँच चुका है कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सके, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके तथा देश और खुद को सही दिशा दे सकने में भाषा की ताकत को पहचान सके। ऐसे दृढ़ भाषिक और वैचारिक आधार के साथ जब विद्यार्थी आता है तो उसे विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की व्यापक समझ और प्रयोग में दक्ष बनाना सबसे पहला उद्देश्य होगा। किशोरावस्था से युवावस्था के इस नाजुक मोड़ पर किसी भी विषय का चुनाव करते समय बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को लेकर सबसे अधिक चिंतित रहते हैं कि चयनित विषय उनके भावी कैरियर और जीविका के अवसरों में मदद करेगा कि नहीं। इस उम्र के विद्यार्थियों में चिंतन और निर्णय करने की प्रवृत्ति भी प्रबल होती है। इसी आधार पर वे अपने मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक और भाषिक विकास के प्रति भी सचेत होते हैं और अपने भावी अध्ययन की दिशा तय करते हैं। इस स्तर पर ऐच्छिक हिंदी का अध्ययन एक सृजनात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और विभिन्न प्रयुक्तियों की भाषा के रूप में होगा। इस बात पर भी बल दिया जाएगा कि निरंतर विकसित होती हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप से बच्चे का रिश्ता बन सके।

इस स्तर पर विद्यार्थियों में भाषा के लिखित प्रयोग के साथ-साथ उसके मौखिक प्रयोग की कुशलता और दक्षता का विकास भी ज़रूरी है। प्रयास यह भी होगा कि विद्यार्थी अपने बिखरे हुए विचारों और भावों की सहज और मौलिक अभिव्यक्ति की क्षमता हासिल कर सके।

इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से (i) विद्यार्थी अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप साहित्य का गहन और विशेष अध्ययन जारी रख सकेंगे। (ii) विश्वविद्यालय स्तर पर निर्धारित हिंदी साहित्य से संबंधित पाठ्यक्रम के साथ सहज संबंध स्थापित कर सकेंगे। (iii) लेखन-कौशल के व्यवहारिक और सृजनात्मक रूपों की अभिव्यक्ति में सक्षम हो सकेंगे। (iv) रोजगार के किसी भी क्षेत्र में जाने पर भाषा का प्रयोग प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। और (v) यह पाठ्यक्रम विद्यार्थी को संचार तथा प्रकाशन जैसे विभिन्न-क्षेत्रों में अपनी क्षमता आजमाने के अवसर प्रदान कर सकता है।

उद्देश्य

- सृजनात्मक साहित्य की सराहना, उसका आनंद उठाना और उसके प्रति सृजनात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि का विकास।
- साहित्य की विविध विधाओं (कविता, कहानी, निबंध आदि), महत्वपूर्ण कवियों और रचनाकारों, प्रमुख धाराओं और शैलियों का परिचय कराना।
- भाषा की सृजनात्मक बारीकियों और व्यावहारिक प्रयोग का बोध तथा उसकी संदर्भ और समय के अनुसार प्रभावशाली ढंग से मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति कर सकना।
- विभिन्न ज्ञानानुशासनों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति एवं क्षमता का बोध कराना।
- साहित्य की प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं (धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, भाषा आदि) एवं अंतरों के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील रूप से कारण करना।
- देश-विदेश में प्रचलित हिंदी के रूपों से परिचित कराना।
- संचार-माध्यमों (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से अवगत कराना और नवीन विधियों के प्रयोग की क्षमता का विकास करना।
- साहित्य की व्यापक धारा के बीच रखकर रचनाओं का विश्लेषण और विवेचन करने की क्षमता हासिल करना।





- विपरीत पस्थितियों में भी भाषा का इस्तेमाल शांति के लिए करना।
- अमूर्तन की एकता का विकास और उसका कल्पनाशीलता तथा मौलिक विकास के लिए प्रयोग करना।

पाठ्यसामग्री और पाठ्य बिंदु

कक्षा XI और XII के लिए

1. काव्य और गद्य संग्रह (भाग-1 और भाग-2) इनमें प्रमुख रचनाकारों द्वारा लिखित विविध विधाओं से संबद्ध काव्य और गद्य (लगभग 20 पाठ) रचनाएँ होंगी। ये रचनाएँ रचनाकारों और विधाओं की भिन्न शैलियों से विद्यार्थी को परिचित कराएँगी। रचनाओं के साथ लेखक परिचय में उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक प्रवृत्ति संक्षेप में दी जा सकती है। प्रश्न-अभ्यासों में ऐसे प्रश्न होंगे जो विद्यार्थी की सृजनात्मकता और मौलिकता का विकास कर सकें। रचनाओं की प्रस्तुति इस प्रकार होगी कि विद्यार्थी के मन में साहित्य के विकासात्मक स्वरूप की समझ बन सके।
2. ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के ऐच्छिक पाठ्यक्रम के लिए पूरक पठन का प्रावधान- साहित्य की विविध विधाओं की रचनाओं का एक-एक संकलन (भाग-1 और भाग-2)
3. रचनात्मक और व्यावहारिक लेखन पर आधारित एक पुस्तक- (कक्षा XI और XII दोनों के लिए) इस पुस्तक में निम्न विषय सम्मिलित होंगे-
सर्जनात्मक लेखन-कविता, नाटक, डायरी, कहानी
सूचना तंत्र के लिए लेखन-
(क) प्रिंटमाध्यम (समाचार पत्र और पत्रिका)।
वृत्त लेखन, पुस्तक-समीक्षा, साक्षात्कार, सामाजिक विषयों पर लेखन
(ख) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम -
रेडियो-दूरदर्शन के लिए लेखन, समाचार लेखन
व्यावहारिक लेखन -
प्रतिवेदन, कार्यसूची, कार्यवृत्त
5. अध्यापकों को संबोधित एक पुस्तक- (इस पुस्तक में विधा विशेष की बनावट और पढ़ना-पढ़ाना, विद्यार्थियों को मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की बारीकियों से परिचित कराने की युक्तियाँ, शारीरिक रूप से बाधाग्रस्त विद्यार्थियों के लिए युक्ति तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री के उपयोग से प्रभावी ढंग से पढ़ने-पढ़ाने पर चर्चा होगी) - यह पुस्तक दोनों कक्षाओं के लिए होगी।

टिप्पणी :

1. इस पूरे पाठ्यक्रम में चयन और प्रस्तुति दोनों स्तरों पर शारीरिक रूप से बाधाग्रस्त विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2. काव्य, गद्य और इतिहास पर रचनात्मक/परिचयात्मक कार्यक्रम बनाए जाएँगे।

शिक्षण-युक्तियाँ

इन कक्षाओं में अध्यापकों की भूमिका उचित वातावरण निर्माण में सहायक की होनी चाहिए। उनको भाषा और साहित्य की पढ़ाई में इस बात पर ध्यान देने की जरूरत होगी कि -

- कक्षा का वातावरण संवादात्मक हो ताकि अध्यापक, विद्यार्थी और पुस्तक तीनों के बीच एक रिश्ता बन सकें।
- गलत से सही की ओर पहुँचने का प्रयास हो। यानि बच्चों को स्वतंत्र रूप से बोलने, लिखने और पढ़ने दिया जाए और फिर उनसे होने वाली भूलों की पहचान कर अध्यापक अपनी पढ़ाने की शैली में परिवर्तन करे।
- ऐसे शिक्षण बिंदुओं की पहचान की जाए जिससे कक्षा में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी रहे और अध्यापक भी उनका साथी हो।

- शारीरिक बाधाग्रस्त विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण-सामग्री का इस्तेमाल किया जाए तथा किसी भी प्रकार से उन्हें अन्य विद्यार्थियों से कमतर या अलग न समझा जाए।
- विभिन्न विधाओं से संबंधित रुचिकर और महत्वपूर्ण 10 अन्य पुस्तकों- जिनका जिक्र पाठ्यपुस्तक के अंत में किया जाएगा-स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए।
- कक्षा में अध्यापक को हर प्रकार की विभिन्नताओं (लिंग, धर्म, जाति, वर्ग आदि) के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील वातावरण निर्मित करना चाहिए।
- सृजनात्मकता के अभ्यास के लिए विद्यार्थी से साल में कम से कम दो रचनाएँ लिखवाई जाएँ।

अंक विभाजन

मूल्यांकन की दृष्टि से अध्ययन के लिए स्वीकृत शिक्षण-सामग्री पर 100 अंक निर्धारित किए जाएँगे जिसका अंक विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है :

लिखित 80 प्रतिशत
मौखिक 20 प्रतिशत

XI-XII हिंदी (आधार): कक्षा XI-XII

प्रस्तावना

माध्यमिक
तथा
उच्च माध्यमिक
कक्षाओं
के लिए
पाठ्यक्रम
178

दसवीं कक्षा तक हिंदी का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी समझते हुए पढ़ने व सुनने के साथ-साथ हिंदी में सोचने और उसे मौखिक एवं लिखित रूप में व्यक्त कर पाने की सामान्य दक्षता अर्जित कर चुका होता है। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आने के बाद इन सभी दक्षताओं को सामान्य से ऊपर उस स्तर तक ले जाने की दरकार होती है, जहाँ भाषा का इस्तेमाल भिन्न-भिन्न व्यवहार-क्षेत्रों की माँगों के अनुरूप किया जा सके। आधार पाठ्यक्रम साहित्यिक बोध के साथ-साथ भाषाई दक्षता के विकास को ज्यादा अहमियत देता है। यह पाठ्यक्रम उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा, जो आगे विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ेंगे या विज्ञान/समाजविज्ञान के किसी विषय को हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहेंगे। यह उनके लिए भी उपयोगी साबित होगा, जो उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद किसी तरह के रोजगार में लग जाएँगे। वहाँ कामकाजी हिंदी का आधारभूत अध्ययन काम आएगा। जिन विद्यार्थियों की दिलचस्पी जनसंचार माध्यमों में होगी, उनके लिए यह पाठ्यक्रम एक आरंभिक पृष्ठभूमि निर्मित करेगा। इसके साथ ही यह पाठ्यक्रम सामान्य रूप से तरह-तरह के साहित्य के साथ विद्यार्थियों के संबंध को सहज बनाएगा। विद्यार्थी भाषिक अभिव्यक्ति के सूक्ष्म एवं जटिल रूपों से परिचित हो सकेंगे, वे यथार्थ को अपने विचारों में व्यवस्थित करने के साधन के तौर पर भाषा का अधिक सार्थक उपयोग कर पाएँगे और उनमें जीवन के प्रति मानवीय संवेदना एवं सम्यक् दृष्टि का विकास हो सकेगा।

उद्देश्य

- इन माध्यमों और विधाओं के लिए उपयुक्त भाषा प्रयोग की इतनी क्षमता उनमें आ चुकी होगी कि वे स्वयं इससे जुड़े उच्चतर पाठ्यक्रमों को समझ सकेंगे।
- सामाजिक हिंसा की भाषिक अभिव्यक्ति की समझ।
- भाषा के अंदर सक्रिय सत्ता संबंध की समझ।
- सृजनात्मक साहित्य को सराह पाने और उसका आनंद उठाने की क्षमता का विकास तथा भाषा में सौंदर्यात्मकता उत्पन्न करने वाली सृजनात्मक युक्तियों की संवेदना का विकास।
- विद्यार्थियों के भीतर सभी प्रकार की विविधताओं (धर्म, जाति, जेंडर, क्षेत्र, भाषा संबंधी) के प्रति सकारात्मक एवं विवेकपूर्ण रवैये का विकास।



- पठन-सामग्री को भिन्न-भिन्न कोणों से अलग-अलग सामाजिक, सांस्कृतिक चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में देखने का अभ्यास कराना तथा नज़रिये की एकाग्रिकता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करना।
- विद्यार्थी में स्तरीय साहित्य की समझ और उसका आनंद उठाने की स्फूर्ति का विकास तथा साहित्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों की संवेदना का विकास।
- विभिन्न ज्ञानानुशासनों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति और उसकी क्षमताओं का बोध।
- कामकाजी हिंदी के उपयोग के कौशल का विकास।
- संचार माध्यमों (प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक) में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से परिचय और इन माध्यमों की माँगों के अनुरूप मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति का विकास।
- विद्यार्थी में किसी भी अपरिचित विषय से संबंधित प्रारंभिक जानकारी के स्रोतों का अनुसंधान और उन्हें व्यवस्थित ढंग से उनकी मौखिक और लिखित प्रस्तुति करने की क्षमता का विकास।

पाठ्यसामग्री

कक्षा XI-XII के लिए

- (1) गद्य-पद्य संग्रह, भाग-1 और भाग-2
- (2) 11, 12 के लिए कामकाजी हिंदी, रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम का परिचय देने के लिए एक पुस्तक। इसमें (कामकाजी हिंदी, रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम से संबंधित सामग्री का समावेश होगा।)
- (3) पूरक पाठ्यपुस्तक - कक्षा XI-XII दोनों के लिए साहित्य की विविध विधाओं की रचनाओं का एक-एक संकलन (भाग-1-2)

पाठ्य सामग्री का विस्तृत विवरण

- गद्य-पद्य संग्रह, (भाग-1) इनमें 15-18 अध्याय होंगे। कविताएँ, कहानियाँ, यत्र-वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र डायरी, निबंध, आत्मकथा इत्यादि हिंदी की विभिन्न साहित्यिक विधाओं से संबंधित 15-18 पाठ। पाठ्यचर्चयों की सिफारिश के मुताबिक कम से कम 20 फीसदी रचनाएँ हिंदीतर भाषाओं से अनूदित होंगी। पाठों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वे रोचक व सुरुचिपूर्ण हों, विविधताओं की सहज उपस्थिति की तरफ विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करें और उपदेशात्मक बोझिलता से मुक्त रहकर संवेदनशील मानवीय दृष्टि का विकास करने में समर्थ हों। पाठ्यसामग्री देश की सामाजिक संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना से युक्त होगी और बहुभाषिकता को दर्शाने वाली होगी। प्रत्येक पाठ के अंत में प्रश्न और अभ्यास होंगे। अभ्यास मुख्यतः रचना के आलोचनात्मक विवेचन, अलग-अलग नज़रियों से उसके अवगाहन एवं पाठ की भाषा-संरचना से संबंधित होंगे।
- इस पुस्तक में व्यावहारिक रचना संबंधी निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश किया जा सकता है-
 - कार्यालयी पत्र, प्रारूप एवं टिप्पण लेखन (प्रारंभिक स्तर के) की पद्धति और उनके नमूने।
 - रोज़गार संबंधी आवेदन-पत्र की लेखन-विधि और उसके नमूने।
 - स्ववृत्त-लेखन की विधि और उसके नमूने।
 - विभिन्न विभागों (पानी, बिजली, टेलीफोन, परिवहन आदि) से संबंधित समस्याओं के बारे में विभागीय अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्रों के नमूने।
 - विज्ञापन-लेखन की विधि और उसके उदाहरण।
 - शब्दकोश, संदर्भ-ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय और उनकी उपयोग-विधि की जानकारी।
 - गैरपारंपरिक एवं अप्रत्याशित विषयों (मसलन- किसानों की आत्महत्या, हिंसक विज्ञापन, कामकाजी औरत की शाम) पर अनुच्छेद एवं निबंध के नमूने।

- भाषण, उद्घोषणा, स्वागत-भाषण, संगोष्ठी-संचालन, आंखों देखा हाल आदि के प्रभावी संप्रेषण के लिए उपयुक्त शब्दावली, भाषा-रूपों, अभिव्यक्तियों इत्यादि की जानकारी, ताकि उनका मौखिक अभ्यास कराना संभव हो।

शिक्षण की प्रक्रिया में इन उदाहरणों का उपयोग प्रसंगानुकूल लिखित अथवा मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास कराने के लिए होगा।

- गद्य-पद्य संग्रह, भाग-2 : इसमें 15 अध्याय होंगे। कविताएँ, कहानियाँ एवं संस्मरण, यात्रावृत्तांत, आत्मकथात्मक लेख, अख्बारों के संपादकीय अग्रलेख, सिनेमा, अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान इत्यादि से संबंधित। कम से कम 20 फोटो से रचनाएँ हिंदीतर भाषाओं से ली जाएँगी। साहित्येतर विषयों से संबंधित लेखन को शामिल करते हुए यह ध्यान रखा जाएगा कि विद्यार्थी को हिंदी के उस रूप की विशिष्ट प्रकृति का बोध हो। पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास के अंतर्गत पाठ की समझ एवं सराहना (भाग-1 के प्रसंग में पूर्वोल्लिखित) से संबंधित प्रश्न होंगे, साथ ही, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति एवं विमर्शगत प्रकृति को रेखांकित करने वाले अभ्यास होंगे।
- जनसंचार माध्यमों की विधाएँ : विभिन्न जनसंचार माध्यमों का परिचय देना और उनकी मुख्य विधाओं का प्रारंभिक अभ्यास कराना पाठ्यक्रम के इस हिस्से का उद्देश्य है। अलग-अलग माध्यमों की मुख्य विधाएँ इस प्रकार हो सकती हैं –

प्रिंट माध्यम: समाचार, संपादकीय, फीचर (अपने निकट के जीवन-संदर्भों से जुड़कर इन विधाओं में लेखन करना – मसलन, स्कूल की किसी घटना पर संपादकीय, गली-मोहल्ले के किसी बड़े आयोजन पर फीचर इत्यादि तथा उनके लिए उपयुक्त शीर्षक बनाना)।

नाटक: किसी कहानी, प्रसंग, कविता आदि का नाट्यरूपांतर और उसकी प्रस्तुति।

रेडियो : समाचार एवं रेडियो-नाटक रूपांतर (किसी नाटक/एकांकी का रेडियो-नाट्य-रूपांतरण कराया जा सकता है।)

इंटरनेट: इंटरनेट का परिचय और 'वेब' की दुनिया में हिंदी की स्थिति की जानकारी।

अंकों का विभाजन

दोनों कक्षाओं में हिंदी (आधार) के पचें 100-100 अंक के होंगे, जिनमें से 40-40 अंक गद्य-पद्य संग्रह के लिए 40-40 अंक दूसरी पुस्तक के लिए एवं 20-20 अंक सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे जिसका आधार पूरक पठन की पुस्तक और मौखिक अभिव्यक्ति का अभ्यास होगा।

शिक्षण-युक्तियाँ

- कुछ बातें इस स्तर पर हिंदी शिक्षण के लक्ष्यों के संदर्भ में सामान्य रूप से कही जा सकती हैं। एक तो यही कि कक्षा में दबाव एवं तनाव मुक्त माहौल होने की स्थिति में ही ये लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। चूँकि इस पाठ्यक्रम में तैयारशुदा उत्तरों को कंठस्थ कर लेने की कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए चीजों को समझने और उस समझ के आधार पर उत्तर को शब्दबद्ध करने की योग्यता विकसित करना ही हमारा काम है। इस योग्यता के विकास के लिए कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच निर्बाध संवाद जरूरी है। विद्यार्थी अपनी शंकाओं और उलझनों को जितना ही अधिक व्यक्त करेंगे, उतनी ही ज्यादा सफाई उनमें आ पाएंगी।
- भाषा की कक्षा से समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों पर बातचीत का मंच बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान में शब्द विशेष के प्रयोग पर मनाही को चर्चा का विषय बनाया जा सकता है। यह समझ ज़रूरी है कि छात्रों को सिर्फ सकारात्मक पाठ देने से नहीं काम चलेगा बल्कि उन्हें समझाकर भाषिक यथार्थ का सीधे सामना करवाने वाले पाठों से परिचय होना ज़रूरी है।
- शंकाओं और उलझनों को रखने के अलावा भी कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक-से-अधिक बोलने के लिए प्रेरित किया जाना ज़रूरी है। उन्हें यह अहसास कराया जाना चाहिए कि वे पठित सामग्री पर राय देने का





अधिकार और उसकी काविलीयत रखते हैं। उनकी राय को तबज्जो देने और उसे बेहतर तरीके से पुनर्प्रस्तुत करने की अध्यापकीय शैली यहाँ बहुत उपयोगी होगी।

- विद्यार्थियों को संवाद में शामिल करने के लिए यह भी जरूरी होगा कि उन्हें एक नामहीन समूह न मानकर अलग-अलग व्यक्तियों के रूप में अहमियत दी जाए। शिक्षक को अकसर एक कुशल संयोजक की भूमिका में स्वयं को देखना होगा, जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति को संवाद का भागीदार बनने से वर्चित नहीं रखता, उसके कच्चे-पक्के वक्तव्य को मानक भाषा-शैली में ढालकर उसे एक आभा दे देता है और मौन को अभिव्यंजना मान बैठे लोगों को मुखर होने पर बाध्य कर देता है।
- अप्रत्याशित विषयों पर चिंतन करने और सोचे हुए की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति करने की योग्यता का विकास शिक्षक के सचेत प्रयास से ही संभव है। इसके लिए शिक्षक को एक निश्चित अंतराल पर नए-नए विषय प्रस्तावित कर लेख एवं अनुच्छेद लिखने तथा संभाषण करने के लिए पूरी कक्षा को प्रेरित करना होगा। यह अभ्यास ऐसा है, जिसमें विषयों की कोई सीमा तय नहीं की जा सकती। विषय की निस्सीम संभावना के बीच शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके विद्यार्थी किसी निबंध -संकलन या कुंजी से तैयारशुदा सामग्री को उतार भर न लें। तैयारशुदा सामग्री के लोभ से, बाध्यतावश ही सही मुक्ति पाकर विद्यार्थी नये तरीके से सोचने और उसे शब्दबद्ध करने के यत्न में सन्नद्ध होंगे। मौखिक अभिव्यक्ति पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य में साक्षात्कार, संगोष्ठी जैसे मौकों पर यही योग्यता विद्यार्थी के काम आती है। इसके अभ्यास के सिलसिले में शिक्षक को उचित हावधार, मानक उच्चारण, पॉज़, बलाधात, हाजिरजवाबी इत्यादि पर खास बल देना होगा।
- मध्यकालीन काव्य की भाषा के मर्म से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए जरूरी होगा कि किताबों में आए काव्यांशों की संगीतबद्ध प्रस्तुतियों के ऑडियो-वीडियो कैसेट का तैयार किए जाएँ। अगर आसानी से कोई गायक/गायिका मिले तो कक्षा में मध्यकालीन साहित्य के अध्यापन/शिक्षण में उससे मदद ली जानी चाहिए।
- वृत्तचित्रों और फ़ीचर फ़िल्मों को शिक्षण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इनके प्रदर्शन के क्रम में इन पर लगातार बातचीत के जरिये सिनेमा के माध्यम से भाषा के प्रयोग की विशिष्टता की पहचान कराई जा सकती है और हिंदी की अलग-अलग छटा दिखाई जा सकती है। विद्यार्थियों को स्तरीय परीक्षा करने को भी कहा जा सकता है।
- कक्षा में सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक की भौतिक उपस्थिति से बेहतर यह है कि शिक्षक के हाथ में तरह-तरह की पाठ्यसामग्री को विद्यार्थी देख सकें और शिक्षक उनका कक्षा में अलग-अलग मौकों पर इस्तेमाल कर सके।
- भाषा लगातार ग्रहण करने की क्रिया में बनती है, इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद यह सिखा सकें कि वे भी शब्दकोश, साहित्यकोश, संदर्भग्रंथ की लगातार मदद ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में इसका इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता बढ़ेगी। अनुमान के आधार पर निकटतम अर्थ तक पहुँचकर संतुष्ट होने की जगह वे सही अर्थ की खोज करने का अर्थ समझ जाएँगे। इससे शब्दों की अलग-अलग रंगत का पता चलेगा और उनमें संवेदनशीलता बढ़ेगी। वे शब्दों के बारीक अंतर के प्रति और सजग हो पाएँगे।
- कक्षा-अध्यापन के पूरक कार्य के रूप में सेमिनार, ट्यूटोरियल कार्य, समस्या-समाधान कार्य, समूह चर्चा, परियोजना कार्य, स्वाध्याय आदि पर बल दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में जनसंचार माध्यमों से संबंधित अंशों को देखते हुए यह ज़रूरी है कि समय-समय पर इन माध्यमों से जुड़े व्यक्तियों और विशेषज्ञों को भी स्कूल में बुलाया जाए तथा उनकी देख-रेख में कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

मूल्यांकन :

चूँकि यह पाठ्यक्रम 20 फीसदी अंक सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन के लिए सुरक्षित रखने की सिफारिश करता है, इसलिए कक्षा में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों के प्रति विद्यार्थी को उत्सुक बनाना है, उनकी समीक्षा एवं उन पर आयोजित संगोष्ठी के आधार पर विद्यार्थी को अंक देने हैं और इसके साथ-साथ अन्य रूपों में भी उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का परीक्षण-मूल्यांकन करना है, इसलिए कक्षा को लगातार सक्रिय और ऊर्जस्वी बनाए रखने का गुरुतर भार उसके कंधों पर है।